



दिनांक 22.07.2022

प्रेस विज्ञप्ति 22/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहगढ़/थाना शमशाबाद

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूटे गये माल ब्रिकी के 2700/-रुपये
 - चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 22.07.2022 को थाना शमशाबाद व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हजियापुर चौराहे से रोशनाबाद जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपू उर्फ यशपाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये माल ब्रिकी के 2700/-रुपये, चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मैनपुरी, कन्नौज, फतेहगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद कन्नौज के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद कन्नौज से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपू उर्फ यशपाल निवासी गग्गरवाला थाना बेबर जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—लूटे गये माल ब्रिकी के 2700/—रूपये।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद फतेहपुर/थाना औंग

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस

- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 21.07.2022 की रात्रि थाना औंग व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना औंग क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त उमर उर्फ लंबू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानों पर गम्भीर अपराध के 08 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना औंग पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना औंग पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—उमर उर्फ लम्बू निवासी कस्बा जहानाबाद थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद जौनपुर/थाना बदलापुर

- पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - 1250/—रूपये नगद
 - 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 21/22.07.2022 की रात्रि थाना बदलापुर व महाराजगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना घनश्यामपुर अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजकुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 1250/—रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद जौनपुर से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बदलापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजकुमार निवासी ग्राम रामपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—1250 /—रुपये नगद।

2— 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3— 01 मोटर साइकिल।

जनपद मथुरा/थाना फरह

• पुलिस कार्यवाही में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी/लूट के 06 दो पहिया वाहन

• 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 21.07.2022 की रात्रि थाना फरह व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरूरपुर नहर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1—जितेन्द्र 2—कुलदीप उर्फ छोटू घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3—कपिल उर्फ कमल 4—गोपाल 5—भोलू 6—भोला उर्फ भरतपाल 7—शिवसिंह सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/लूट की 06 दो पहिया

वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त जितेन्द्र के विरुद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग, अभियुक्त कुलदीप उर्फ छोटू के विरुद्ध जनपद मथुरा के थाना फरह पर डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग, अभियुक्त कपिल उर्फ कमल, अभियुक्त गोपाल, अभियुक्त भोलू के विरुद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद दो पहिया वाहन जनपद मथुरा की चोरी/लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फरह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—जितेन्द्र निवासी ग्राम पिपला थाना चिकसाना जनपद भरतपुर, राजस्थान।
- 2—कुलदीप उर्फ छोटू निवासी ग्राम पिपला थाना चिकसाना जनपद भरतपुर, राजस्थान।
- 3—कपिल उर्फ कमल निवासी मोहल्ला धोपासा थाना अटलवन जनपद भरतपुर, राजस्थान।
- 4—गोपाल निवासी चौमुहा थाना जैत जनपद मथुरा।
- 5—भोलू निवासी वेरी थाना फरह जनपद मथुरा।
- 6—भोला उर्फ भरतपाल निवासी वेरी थाना फरह जनपद मथुरा।
- 7—शिवसिंह निवासी रामनगर थाना सेवर जनपद भरतपुर, राजस्थान।

बरामदगी

- 1—चोरी/लूट की 06 दो पहिया वाहन।
- 2— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद हमीरपुर/थाना जलालपुर

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 22.07.2022 को थाना जलालपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरैनी राठ तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जलालपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-222/2021 धारा 302/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जलालपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-राजेन्द्र निवासी बिलगांव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार

1-01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा नगर

- चोरी की घटना का अनावरण
- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 05 लाख रुपये कीमत की चोरी के सोने व चाँदी के आभूषण बरामद

दिनांक 22.07.2022 को थाना अमरोहा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौगावां रोड पर यूपी 23 रेस्टोरेंट के पास से अभियुक्त मोहर्रम अली उर्फ हसन अब्बास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रुपये कीमत की चोरी के सोने व चाँदी के आभूषण बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरुद्ध जनपद अमरोहा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक: 20/21.07.2022 को थाना अमरोहा नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पर मु0अ0सं0-350/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहरम अली उर्फ हसन अब्बास निवासी मो0 चकली थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—लगभग 05 लाख रुपये कीमत की चोरी के सोने व चाँदी के आभूषण

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 10 लाख रुपये कीमत के 52 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के, 02 लैपटॉप
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 21.07.2022 को थाना कोतवाली शहर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाईपास रोड रेलवे फाटक के पास ग्राम बक्शीवाला से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—शावेज 2—आदिल 3—कासिफ 4—खालिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रुपये कीमत के 52 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन व लैपटॉप जनपद के कई चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—शावेज निवासी रादगान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 2—आदिल निवासी ग्राम मंझेडा थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 3—कासिफ निवासी मोहल्ला नई सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 4—खालिद निवासी ग्राम पिरथीपुर बनवारी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

- 1—लगभग 10 लाख रुपये कीमत के 52 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के।
- 2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद मैनपुरी / थाना भोगांव

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.07.2022 को थाना भोगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अहिरवा मोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रमेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-633/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोगांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रमेश निवासी इन्द्रा कालोनी थाना मॉडल टाउन जनपद पानीपत, राज्य हरियाणा।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लक्सा

- 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार
- चोरी की 11 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक 21.07.2022 की रात्रि को थाना लक्सा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालकुटी से 03 शातिर वाहन चोर 1-विकास उर्फ गोलू 2-अंकित उर्फ खली 3-विजय कुमार तथा 01 बालपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जो कमिश्नरेट वाराणसी के भिन्न भिन्न स्थानों से वाहनों की चोरी करके ग्राहक मिलने पर सस्ते दामों के बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना लक्सा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-विकास उर्फ गोलू निवासी शिवपुरवा महमूरगंज गांधी चबूतरा छित्तूपुर थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

2—अंकित उर्फ खली निवासी कलाड़ी वाटिका लान समधारी चाय वाले के बगल थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

3—विजय कुमार निवासी तुलसीपुर पचपेड़वा थाना सिगरा, वाराणसी।

4—01 बालपचारी।

बरामदगी

1—चोरी की 11 दो पहिया वाहन।

जनपद जौनपुर/थाना लाइन बाजार

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 05 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद

दिनांक 21.07.2022 को थाना लाइन बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामघाट के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—शिवम उर्फ भदू 2—संजय उर्फ खिचडू को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लाइन बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवम उर्फ भदू निवासी इमलो थाना जफराबाद जनपद जौनपुर।

2—संजय उर्फ खिचडू निवासी सेबईनाला थाना जफराबाद जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर।

जनपद मीरजापुर/थाना कछवां

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 245 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
- 01 डीसीएम वाहन बरामद

दिनांक 22.07.2022 को थाना कछवां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महाराजा ढाबा कटका के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—अजीत 2—मोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 245 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 डीसीएम वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कछवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अजीत निवासी कवाली थाना खरखोदा जनपद सोनीपत हरियाणा।
- 2—मोहित निवासी कवाली थाना खरखोदा जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी

- 1—लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 245 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।
- 2—01 डीसीएम वाहन।

जनपद मीरजापुर/थाना चुनार

- 03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 21 लाख रूपये कीमत के 210 ग्राम अवैध हेरोइन
- 01 मोबाइल फोन आदि बरामद

दिनांक 21.07.2022 को थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना चुनार क्षेत्र से 03 मादक पदार्थ तस्करों 1—लल्लू उर्फ प्रदीप 2—सनी 3—शीतल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 21 लाख रूपये कीमत के 210 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना चुनार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—लल्लू उर्फ प्रदीप निवासी टेकौर दक्षिणी थाना चुनार जनपद मीरजापुर।
- 2—सनी निवासी सराय टेकौर दक्षिणी थाना चुनार जनपद मीरजापुर।
- 3—शीतल निवासी बस स्टैण्ड चुनार थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

- 1—लगभग 21 लाख रूपये कीमत के 210 ग्राम अवैध हेरोइन।

जनपद बांदा/थाना पैलानी/थाना जसपुरा

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 63 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 21.07.2022 को थाना पैलानी व थाना जसपुरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पैलानी डेरा लकी ढाबा के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—धर्मेन्द्र 2—महेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 63 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना पैलानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—धर्मेन्द्र निवासी खट्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा ।

2—महेश निवासी नया डेरा खट्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा ।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 63 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा ।

2—01 मोटर साइकिल ।

- जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश सोनभद्र द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजू मोदनवाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

- जनपद बलिया/थाना बांसडीह रोड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या—8 बलिया द्वारा थाना बांसडीह रोड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय कुमार कुंवर उर्फ डिम्पल 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

➤ जनपद गाजीपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ 10 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद गाजीपुर पुलिस ने अभियुक्त 1—चन्द्रहास कुशवाहा निवासी खतीरपुर थाना शादियाबाद, गाजीपुर 2—राजेन्द्र कुशवाहा निवासी रघुनाथपुर छावनी लाइन गाजीपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 10 लाख रू० को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
